



KANNAUJ POLICE



दिनांक: 23 जून 2024

प्रेस नोट-थाना इन्दरगढ़

थाना इंदरगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/2024 धारा 376 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक जनपद कन्नौज अमित कुमार आनन्द द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज डॉ० संसार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी तिर्वा डॉ० प्रियंका वाजपेयी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष आनन्द कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना इंदरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2024 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त सत्यम उर्फ गोलू पुत्र स्व० श्रवण कुमार उर्फ सिरोमणि उपरोक्त द्वारा वादिनी के साथ पाँच वर्ष पूर्व से शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1. सत्यम उर्फ गोलू पुत्र स्व० श्रवण कुमार उर्फ सिरोमणि उम्र 24 वर्ष नि० ग्राम अगौस थाना इंदरगढ़ जनपद कन्नौज।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष आनन्द कुमार मिश्र, थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज ।
2. का० मनीष कुमार
3. का० प्रशान्त यादव
4. म०का० प्रज्ञा

